भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3435

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>कंपनी अधिनियम का पालन न करना</u>

3435. श्री जनक राम :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में हिस्सा लेने वाली टीम के मालिकों द्वारा कथित रूप से किए जा रहे कंपनी अधिनियम के गैर-अनुपालन और अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है/कराए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ड.): विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

कंपनी अधिनियम का पालन न करने के संबंध में श्री जनक राम द्वारा पूछे गए दिनांक 18.12.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3435 का अनुलग्नक

क्र.सं.	आईपीएल टीम के मालिक का नाम	कंपनी अधिनियम, 1956 के किस प्रावधान का उल्लंघन किया गया	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234 के अंतर्गत अप्रैल, 2010 में दिए गए आदेशों के अनुसार दस्तावेजों की जांच की स्थिति
1.	इंडियाविन स्पोर्ट्स प्रा.लि.	23	पूर्व नाम अर्थात् राठी प्रिया ट्रेडिंग प्रा.लि. के नाम से दिनांक 10.04.2008 को फेंचाईजी समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 23 का अनुपालन न करने के लिए कंपनी को चेतावनी दी गई थी। कंपनी रजिस्ट्रार, मुम्बई को इंडियाविन स्पोर्टर्स प्रा.लि. के विरूद्ध सदस्यों के रजिस्टर और वार्षिक रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध न कराने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी और यह मामला कंपनी के साथ उठाया गया तथा कंपनी ने उत्तर दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा वांछित निरीक्षण की अनुमति दी गई थी और पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2013-14 तक के सदस्यों का रजिस्टर तथा वार्षिक रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां उसे उपलब्ध करा दी गई थीं। यह शिकायत दिनांक 07.08.2015 को निपटा दी गई।
2.	रॉयल चैलेन्जर्स स्पोर्ट्स प्रा.लि.		कंपनी अधिनियम, 1956 का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
3.	डेक्कन चार्जर्स स्पोर्टिंग वेंचर्स लि.		डेक्कन चार्जर्स आपीएल टीम का स्वामित्व प्रारंभ में डेक्कन चार्जर्स स्पोर्टिंग वेंचर्स लि. के पास था जो डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिग्स लि. की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सीडियरी कंपनी थी। डेक्कन चार्जर्स स्पोर्टिंग वेंचर्स लि. के वैलेंस शीट की जांच करने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नही पाया देखा गया था।

4.	इंडिया सीमेंट लि.	217क	कंपनी की वैलेंस शीट की जांच करे पर निदेशक रिपोर्ट में कर्मचारियों के ब्यौरे न देने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) का उल्लंघन पाया गया और कंपनी को चेतावनी दी गई। बाद में जगन मामले से संबंधित सीबीआई के प्रश्नों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत इंडिया सीमेंट लि. की लेखाबही की जांच और पुन: जांच का आदेश दिया गया।
		372क (7 काउंन्टस), 217(2क) 211	धारा 372क (7 काउंन्टस) और धारा 217(2क) का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन दायर किए गए जिनका अर्थ दंड जमा (कंपाउन्ड) करा लिया गया तथा उपर्युक्त मामलों के संबंध में अभियोजन वापस ले लिए गए। मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.12.2015 को धारा 211 का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन शुरू करने तथा निरीक्षण से उत्पन्न कतिपय अन्य मुद्दों की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश जारी किए गए हैं।
5.	जीएमआर स्पोर्ट्स प्रा.लि.	लेखांकन मानक 11 के साथ पठित धारा 211 (3ग)	कंपनी रजिस्ट्रार को अभियोजन दायर करने का निदेश दिया गया है। कंपनी और इसके निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा उत्तर की प्रतीक्षा है।
6.	केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्रा.लि.	159, 220	वर्ष 2008-2009 की वैलेंस शीट और वार्षिक रिटर्न फाइल न करने के लिए अभियोजन दायर किए गया। माननीय कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अपराध का प्रशमन (कंपाउन्ड) करने के बाद अभियोजन वापस ले लिए गए।
7.	नाइटराईडर्स स्पोर्ट्स प्रा.लि.	383क और 211	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 283क और 211 का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन दायर किए गए। तथापि, बाद में कंपनी ने उक्त अपराधों का प्रशमन करा लिया।

8.	जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्रा.लि.	297, 301	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 और 301 का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन दायर किए गए। तथापि, बाद में कंपनी ने उक्त अपराधों का प्रशमन करा लिया।
9.	सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स लि.		कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।

*****